


फॉर्म अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ,
अजोध्या वा. जिला - बुन्देली (राज.) - 221007
सं. 124/2008/अ

तारीख हुकम हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

24.8.21	<p>चौकिसत्र अनुमति प्राप्त 25/10 RT Act के तहत प्रार्थना पत्र 80(1) सी पी सी के तहत वकील श्री शंकर लाल शर्मा ने पेश किया। सर्वोच्च रिपोर्ट फा अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र 80(2) सी पी सी पर कबाला पत्र को सुना गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र वर्ज रजिस्टर करने की अनुमति दी जाती है। प्रतिवादोपण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 14.10.21 को पेश हो।</p>	<p>न्यायालय पत्रों के संभ अर्भियान 2021 के तहत केम्प कोर्ट केम्प कोर्ट केम्प कोर्ट</p>
14/10/21	<p>पत्रावली प्रारम्भ गम्भा के संभ अर्भियान 2021 के तहत केम्प कोर्ट में दिनांक 26/11/21 को पेश हो।</p>	
26/11/21	<p>पत्रावली अन्तः प्रारम्भ गम्भा के संभ अर्भियान-2021 क्रम सं गुजाम प्रारम्भ पेश। दिनांक 07/3/22 को पेश हो।</p>	
21/3/22	<p>राष्ट्रीय लोक अदालत 2022 के तहत केम्प देई में वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान अधिकारी महोदय वीरेंद्र प्रसाद अहकाम संभिय रखते हैं। पत्रावली दि 12/3/22 को पेश हो।</p>	
12/3/22	<p>पत्रावली केम्प में पेश हुई। पूर्व अधेशाद्वारा दिनांक 20/6/22 को पेश हो।</p>	
20/6/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील आर्षी अनुपस्थित हैं। वकील आर्षी को न्यायालय से 3 बार रूक-रूककर आवाजे लगावामी गरी लेबिन आर्षी या वकील आर्षी में ले कोई श्री न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। अतः न्यायालय आवाज में कोई कार्यवाही नहीं होने से खारिज किया जाना उचित समझता है। अतः पत्रावली अदम हाजरी अदम पेशी में खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बुन्देली)